बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001

(पंजीयन सं. – 633 / 2003)

Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार

मो.– 9431091417, 7004466338

Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिदिकी

मो. – 9771048046,

Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह

संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र

कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु

संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 19 दिनांक 13/8/18

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का प्रोन्नति में Stagnation एवं कालावधि क्षांत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का प्रोन्नति में Stagnation की ओर भवदीय का संघ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है जो इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	बैच	योगदान का वर्ष	वर्त्तमान धारित पद	प्रोन्नति हेतु पद	सेवा अवधि	सा0प्र0 का संकल्प ज्ञापांक–942, दि0–28.01.2010 द्वारा निर्धारित कालावधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	36वीं(शेष) 37वीं 38वीं 39वीं	1992 1993 1995 1996	अपर समाहर्त्ता	संयुक्त सचिव	26 वर्ष 25 वर्ष 23 वर्ष 22 वर्ष	15 वर्ष
2.	40वीं 41वीं 42वीं	1997 1999 2000	उप सचिव	अपर समाहर्त्ता	21 वर्ष 19 वर्ष 18 वर्ष	10 वर्ष
3.	42वीं(शेष) 43वीं 44वीं 45वीं 46वीं	2000 2004 2004 2005 2007	मूल कोटि	उप सचिव	18 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष 13 वर्ष 11 वर्ष	05 वर्ष

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 11 से 18 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है जब कि पाँच वर्ष पर पहली प्रोन्नती होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य पदों की स्थिति स्पष्ट है।

समान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापांक–942, दिनांक 28.01.2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया जिसमें पदों की संख्या 2878 से घटाकर 851 की गई थी। जिसके कंडिका –(6) में वर्णित है, **"बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण/सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना की क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। ऐसी सम्स्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे।"**

सम्प्रति सामान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापांक– 7118, दिनांक–30.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन में पदों की संख्या और संरचना के निर्धारण का कृपया स्मरण किया जाय। कंडिका (6) में वर्णित है कि **बिहार प्रशासनिक सेवा विभिन्न स्तरों में पदों की संख्या अत्यधिक कम कर दिये जाने के कारण प्रोन्नति के अवसर भी कम हो गये, जिसके फलस्वरूप पदाधिकारियों की प्रोन्नति अवरूद्ध हो गयी तथा Stagnation की स्थिति उत्पन्न हो गयी।** इस हेतु पदों की संख्या बढ़ाकर 1634 की गई एवं कंडिका–(11) में वर्णित है," **बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन के फलस्वरूप किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने पर उसके समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे"।**

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में संध चाहता है कि **वर्णित कंडिका–(6) एवं कंडिका–(11) के आलोक में कालावधि में विशेष छूट प्रदान करने की कार्रवाई की जाय ताकि प्रोन्नति में Stagnation खत्म हो सके।**

या

कंडिका– (1) में वर्णित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रोन्नति हेतु कालावधि के अनुसार प्रोन्नति दी जाय।

13/8/18

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

13/08/18

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष